

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1129/2022/10-11/3278 भोपाल, दिनांक 22/9/22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-732 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-09/2022-FC दिनांक 07.06.2022 .

----0----


कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई जानकारी वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/3938 दिनांक 07.09.2022 से बिन्दुवार प्राप्त हुई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- (उपरोक्तानुसार+ सी0डी0)


भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 22/9/22

पृ. क्रमांक/एफ-5/1129/2022/10-11/3279
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
 3. अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, वन मण्डल औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडलओबेदुल्लागंज

होशंगावादरोडओबेदुल्लागंज, फोन नं० 07480-224062, फेक्स नं० 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 3938

औ.गंज/दिनांक/ 7.9.22

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध) म०प्र०भोपाल

विषय :

रायसेन जिले के वनमंडल ओबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.732 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु 55.00 हे० वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ :

आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1129/2022/10-11/2176 दिनांक 21.6.22 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-09/2022-एफ.सी. दिनांक 07.6.22

—00—

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में समस्त 10 बिन्दुओं की वाछित जानकारी साफ्ट कॉपी सी.डी.के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (सी.डी.)


वनमंडलाधिकारी,
सा. वनमंडल औ.गंज


पृ.क्रमांक/मा.चि./22/

औ.गंज/दिनांक,

प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल की ओर जानकारी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (सी.डी.)


वनमंडलाधिकारी,
सा. वनमंडल औ.गंज

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)

आवक क्रमांक

1783

म.प्र. भोपाल

14/8/22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

13/9

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Reply to the queries raised by Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Dated: 07 June 2022:-

Online Proposal No. FP/MP/FVC/152645/2022

Query No. 1. The State govt. has not provided the basic details of the area being vacated by relocating the village Dhunwani. The complete details of the area including the area under habitation, agriculture, nistar rights and other land-use categories along with documentary evidence may be submitted.

Reply - Details are attached in Annexure-I

Query No. 2. The State govt. shall ensure that the instant proposal fulfills all the conditions of voluntary relocation guidelines dated 20.05.2019 issued by the ministry.

Reply - Details are attached in Annexure-II

Query No. 3. The State govt. shall ensure that the area being vacated is a part of the Core/Critical Tiger Reserve or Core of the Protected Area (National Park or Sanctuary).

Reply - Yes, village Dhunwani is a part of Core area of Ratapani Wildlife Sanctuary.

Query No. 4. As per DSS analysis, the proposed diversion area is 55.265 Hact. instead of 55.00 Hact. therefore correct KML/Shape file of 55.00 hact. needs submission.

Reply - Corrected KML file of 55.00 Hact. Named as 'Dhunwani Rehabilitation Site' is provided in CD attached with this letter.

Query No. 5. The KML/Shape file of forest village "Dhunwani" which is proposed to be relocated has not been submitted.

Reply - KML file of forest village "Dhunwani" which is proposed to be relocated named as 'KML file of existing forest village Dhunwani' is in CD attached with this letter.

Query No. 6. The KML file of Ratapani Wildlife Sanctuary indicating its core area and notified ESZ boundary needs submission.

Reply - KML file of Ratapani Wildlife Sanctuary indicating its core area named as 'Ratapani Sanctuary core area' and notified ESZ boundary, KML named as 'Ratapani Eco Sensitive Zone' is in CD attached with this letter.

Query No. 7. The total number of "villagers" to be rehabilitated in the village "Dhunwani" along with the number of 'families' entitled for relocation or rehabilitation under the scheme may be submitted.

Reply - Details of families entitled for relocation or rehabilitation under the scheme are:-

Village name	Village population			No. of Families	
	Male	Female	Children	Land Unit	Money Unit
Dhunwani	90	71	94	20	87
Total	255			107	

E:/Village relocation proposal/Reply of queries raised by MoEF & CC.doc

Query No. 8. The basic of calculation of the total area of the village being vacated has not been provided, which is required to be given

Reply - Details are attached in Annexure-I

Query No. 9. The State govt. shall ensure that the instant proposal is for the relocation of entire Neelgarh village. A certificate that the area under Neelgarh village will become inviolate and no families/persons will be left within this village for further relocation shall be submitted

Reply - Yes, Certificate are attached with this letter. Please see Annexure III.

Query No. 10. Recently, a similar proposal for relocation of "Neelgarh" village (Online no. FP/MP/FVC /151576/2022) from the Ratapani Wildlife Sanctuary was received in the Ministry. Therefore, the total number of existing villages located in the Core/Critical Area of the Ratapani Wildlife Sanctuary and under consideration for re-location needs submission.

Reply - The total number of existing villages located in the core area of the Ratapani wildlife Sanctuary and under consideration for relocation are following :-

District	Tehsil	Name of villages	Type of villages
Raisen	Goharganj	Jawra-Malkhar	Revenue Village
		Jhiri-Bahera	Revenue Village
		Panjhir	Revenue Village
		Keri Chouka	Revenue Village
	Sultanpur	Dantkho	Revenue Village
		Jaitpur	Revenue Village
		Sajoli	Revenue Village
Sehore	Budhni	Neelgarh	Forest Village
		Dhunwani	Forest Village
		Mathar	Forest Village


Divisional Forest Officer
(T) Division Obaidullaganj

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Annexure-I


The complete details of the area being vacated by relocation of Village "Dhunwani" are as under:-

S.No.	Land used	Area	Documentary evidence	Name of attached KML file
1	Dhunwani village			
	Habitation Land	3.17 Hectare.	Page no 01 to 35 of Annexure I	Habitation & Agriculture
	Agricultural Land	34.6 Hectare.	Page no 01 to 37 of Annexure I	Habitation & Agriculture
	Nistar *	260.93 Hectare.	Page no 38 to 41 of Annexure I*	Remaining area inside comprehensive KML except the area of Habitation, Agriculture and Miscellaneous land use.
	Miscellaneous Land use**	19.3 Hectare.	-	Miscellaneous land use
	Total	318.00 Hectare		Comprehensive KML#

*These pages are part of Management plan of Ratapani Sanctuary. According to that Dhunwani village have 140 cattles and per cattle 2 hectare area of sanctuary has been allotted as Nistar Right. Nistar land use is utilized for purposes of cattle grazing, Fuel wood collection, roads etc. No one has any kind of claim on this land and it will also be vacated completely at the time of relocation.

**Miscellaneous land use is utilized for purposes of cattle grazing, community programs and community based agriculture. No one has any kind of claim on this land and it will also be vacated completely at the time of relocation.

#Comprehensive KML contains the area of habitation land use, Agriculture land use, Nistar land use and Miscellaneous land use.


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj



उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./60151 /रायसेन/ गौ-गंज, डुंगरिया /धुंधवानी/0013 /व्यक्तिगत/08

दिनांक: 06 JUN 2008

- 1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति/माताजी सहित)
- 2. पिता/माता का नाम -
- 3. अधिकारों का नाम -

गुलाबसिंह
श्रीमती शीलाबाई
रमेशसिंह / श्यामबाई

1- शीलाबाई - पत्नी - 25 वर्ष
2- सोनू - पुत्र - 05
3- सुमित - पुत्र - 03

पता -
ग्राम - धुनवानी
ग्राम पंचायत - डुंगरिया
तहसील - गौहरगंज
जिला - रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
क्षेत्रफल - निवास- 0.040 हेक्टर (आवासीय) कृषि - नहीं
खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों RF-482, 483, 485
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - चंदन, पश्चिम - रिक्त, उत्तर - दक्षिण - कैलाश (संलग्न मानचित्र (शीट क्र.) अनुसार)

हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या वरणीय नहीं है :-

1. अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंजन सिंह

राज्य वन संरक्षक

Handwritten signature

संतोष यादव

कलेक्टर

कलेक्टर/उपआयुक्त

Handwritten signature

रमेश यादव

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

रायसेन (म.प्र.)

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

128

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0031 /रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी/00128 /व्यक्तिगत/08

दिनांक: 12/11/2015

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

सुरेश कुमार
लक्ष्मीबाई (पत्नी)

2. पिता/माता का नाम -

पूरनसिंह / भमरीबाई

3. आश्रितों का नाम -

1- लक्ष्मीबाई पत्नी - 25 वर्ष
2- स्वाती - पुत्री - 05 "

4. पता - धुनवानी, पो. बगासपुर

5. ग्राम

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौड़

10. क्षेत्रफल - नि. 0.025 हेक्ट. कृषि - 0.405 हेक्ट.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों RF- 482, 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - उत्तर - अर्जुन वृक्ष - छोटे राम (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

सुरेश कुमार


वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

रायसेन

(रम. पो. ठाकुर)
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

H. H. H.



वन गुरुकुल नव्या - पौरुष विनोद
 शासक शुभवानी पठक ५०५३०
 काशी शासक R.F ५८२-५८३-५८५ काशी २०३
 शुभवानी शासक १:१५००

~~श्रीश/भूख~~
~~कक्षा~~

शुभवानी (विनोद)
 उपवन परिक्षेत्रिकाशी

५८२-५८३-५८५
 ५८२-५८३-५८५
 ५८२-५८३-५८५

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. 0034 / गौहरगंज / हुंगरिया / धुनवानी / 0034 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक : 0 0 00 01 20

2. धारकों के धारक (कों) के नाम

श्रीमती शांतिबाई
श्री भवानी (पति)

3. धारकों की सहित

बिहारी / पनियाबाई

4. धारकों का नाम -

- | | | | | | |
|----|---------|---|--------|---|---------|
| 1- | गौराबाई | - | पुत्री | - | 16 वर्ष |
| 2- | नीलेश | - | पुत्र | - | 14 " |
| 3- | राजवती | - | पुत्री | - | 12 " |
| 4- | सुन्नी | - | पुत्री | - | 10 " |
| 5- | गुडडी | - | पुत्री | - | 08 " |

5. धारकों का नाम -

पता -

ग्राम - धुनवानी पो. बगासपुर

तहसील - हुंगरिया

जिला - गौहरगंज

राज्य - रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी - गौंड

क्षेत्रफल - नि. - 0.025 हेक्ट. कृषि - 1.214 हेक्ट.

खसत - सर्वेक्षण संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों RF- 482, 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - चन्दन, पश्चिम - (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर - नदी, दक्षिण - मोहन

इस हक का शोध्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंग्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जनजातीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक


Ashokan

कलेक्टर/उप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन (प.प्र.)

(रुन.पी.ठाकुर)
जिला संयोजक

ग्राम पुनवानी गाँव शास्त्रिक काले भवान्
कल 483 R.F
रकबा 6 अकड 15x15



ग्राम

उपबंध - 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

प्रधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 123 / रावसेन गौहरगंज / दुंगरिया / धुनवाणी / व्यक्तिगत/08

दिनांक: 06.07.2008

1. वन अधिकारों के धारक (जों) के नाम

प्रहलादसिंह

(पति या पत्नी सहित)

भुरियाबाई

2. पिता/माता का नाम -

कुब्जाबाई / नन्देलाल

3. माझिनों का नाम -

1- भुरियाबाई

2- कमलेश

3- बिन्दाबाई

4- अमिषेक

5- दिनेश

4. पता -

5. ग्राम -

धुनवाणी, पो. बगासपुर

6. ग्राम पंचायत -

दुंगरिया

7. तहसील -

गौहरगंज

8. जिला -

रावसेन

रावसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

गोंड

10. क्षेत्रफल - नि. - 15 X 15 , कृषि 0.250 हेक्टर.

11. खसरा/कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाबिन्दों - 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - करोडी

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - रिक्त, उत्तर - मुन्नीचीर, दक्षिण - कुलासिंह

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंलग्न या अंतरणीय नहीं है :-


हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 1:15000



482-483-485
 1:15000

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 1:15000

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 1:15000

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 1:15000

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 1:15000

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



क्र. 00127/रायसेन/गोहरगंज/हुंकारवा/धुन्वाली/003 /व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (हकों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

श्री सरदार सिंह
श्रीमती विपलाबाई

2. पिता/माता का नाम -

श्री गजानन / श्रीमती बाई

3. आश्रितों का नाम -

- 1- विपलाबाई - पत्नी - 25 वर्ष
- 2- सुन्दर पुत्र - 01
- 3- भैयालाल पितृ - 55
- 4- कान्हाबाई - पत्नी - 50
- 5- मनोराम - 10

पता -

ग्राम - धुन्वाली पो. बजापुर

ग्राम पंचायत - हुंकारवा

तहसील - गोहरगंज

जिला - रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य-परंपरागत-वन-निवासी - गौड़

0. क्षेत्रफल - वि. 0.405 हेक्टर, कुवि. 01.214 हेक्टर

1. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - RP-482, 483-485

द्वारा सीमाओं का विवरण - वि. - प्राच्यम-नदी (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर- कसर, दक्षिण- धाकिशन

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या
रंतरणीय नहीं है :-

म. अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि
करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

कलेक्टर/उपआयुक्त

(रम. पी. ठाकुर)
जिला जनजाति कार्यवाहक अधिकारी

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 140 / रायसेन/ गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / व्यक्तिगत/08 दिनांक : 08

1. वन अधिकारों के धारक (को) के नाम कैलाश
(पति या पत्नी सहित) कपूरेश्वर
2. पिता/माता का नाम - हमीरा / फूलावाई
3. आश्रितों का नाम -
1- कपूरेश्वर
2- बन्टी (बन्टी)
3- रीना
4- बीरू

4. पता -
5. ग्राम - धुनवानी, पो. बगासपुर
6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया
7. तहसील - गौहरगंज
8. जिला - रायसेन रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - 0.090 हेक्टर (आवासीय)
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों 482, 483, 485.
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व पूर्व पश्चिम-रिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर- गुलाब, दक्षिण- जालिम

इस हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-


हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

राज्य मंडलीय अधिकारी/ उप वनसंरक्षक


जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

482-483-485
 482-483-485
 482-483-485
 482-483-485



Julie place
 485
 482-483-485



Lumber
 482-483-485

482-483-485

482-483-485



उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधिम 2008
का नियम 8(अ) देखें)

अधिशोध के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00132/रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी/002/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 06

1. वन अधिकारों के धारक (सगे) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम =
3. आश्रितों का नाम =

सुरेश कुमार
पुनियाबाई
राधेनाथ / दोपती बाई
1- पुनियाबाई
2- विवेक
3- सचिन

4. पता -
5. ग्राम -
6. ग्राम पंचायत -
7. तहसील -
8. जिला -

धुनवानी, पो. बगसरपुर

डुंगरिया

गौहरगंज

रायसेन

रायसेन

गौंड

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -
10. क्षेत्रफल - नि. - 0.100 हेक्टर, कु. - 0.405 हेक्टर.
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - RF- 482, 483, 485
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - पश्चिम - (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर - जालम, दक्षिण -

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिरंकार सिंह


वन सहायक अधिकारी (सा.०)
वन मंडलीय अधिकारी/आ. वनसंरक्षक
वनमंडल-ओबेदुल्लागंज
जिला-रायसेन

संदीप यादव

कलेक्टर
जिला-रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त


7106
(रम. पी. ठाकुर)
जिला संयोजक
आदिम जाति क
जिला जनजाति सेक्टर

कम मूल्य नकशा - पोस्टर विनोद
श्रीम सुनवानी ५० स. न. ३०
जडी हांडा F 482-483-485 कार्ड ६०३
सुनवानी ५०-३० १:१५००



— १०० मी
3212 — 11111
4812 — 11111
301 — 11111

सुनवानी (विनोद)
उपवन परिशेताधिकारी



सुनवानी
५०-३०
सुनवानी

सुनवानी / सुनवानी

उपबंध - 2
 भारत सरकार
 जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मामलात) नियम 2004 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

सं. / 00149/रायसेन/गौ-गंज / डुंगरिया / धुनवानी / 0035 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक 10/6

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्रीमती पार्वतीबाई
(पति या पत्नी सहित) श्री मुन्नालाल (पति)
2. पिता/माता का नाम - रामरतन / केशरबाई
3. आश्रितों का नाम -
 1- रामप्रकाश - पुत्र - 18 वर्ष
 2- कुब्जाबाई - पुत्री - 15 "
 3- हल्की - पुत्री - 13 "

4. पता -
5. ग्राम - धुनवानी, पो. बगासपुर
6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया
7. तहसील - गौहरगंज
8. जिला - रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - नि. - 0.040 नि. कृषि - 1.214 हेक्टर.
11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित परमुर सीमादिन्हों RF- 482 483 485
 द्वारा सीमाओं का विवरण पूरब - पारिचम - (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
 उत्तर - प्रहनाद, - दक्षिण - फूलसिंह

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुं करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंकार सिंह

वन सौंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

(रुन पी ठाकुर)

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उप आयुक्त

Deharban

1951 (1952)
1951/1952

1951/1952



1951/1952
1951/1952

1951/1952
1951/1952



उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिनियम के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 0138/रायसेन/...

दिनांक :

- 1. वन अधिकारों के धारक (जो) के नाम (पति या पत्नी सहित)
- 2. पिता/माता का नाम
- 3. आविर्ता का नाम

- 4. पत्न -
- 5. माता -
- 6. पिता -
- 7. तहसील -
- 8. जिला -

धुमनाचो, पो. तगारपुर, रायसेन

- 9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी -
- 10. क्षेत्रफल - 100 x 100 R. - कृषि - 0.0809 हेक्टर
- 11. खासरा/ कचार्टमेड संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - स्थानीय, पश्चिम - मोहन, उत्तर - रिक्त, दक्षिण - शांतिबाई

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

इह हक दावा योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या तिरणीय नहीं है :-

म, अधोहरताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

(राम-पी-ठाकुर)


जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/जनजात

वन भूमि नक्शा - पोरबंदर विनेका
 ग्राम धुनवानी पं० क० ब० ३४
 कक्षा क्रमांक री. F 482-483-485 वर्कशर ६
 धुनवानी माप-मात्र 1:15000


482

483



चली कागज
 डबरा - सक्क रिकर
 चकिया - शालीगाई
 पूव
 ति

बृजमोहन डड
 उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 धुनवानी (विनेका)



483

486

चकिया / किराया
 कागज

21/11/2020
 2020/11/21

उपबंध -2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00134 /रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी/0027 /व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित) सोहनसिंह
फूलाबाई
2. पिता/माता का नाम - जुगराजसिंह /अन्तूबाई
3. आश्रितों का नाम -

- 1- फूलाबाई
- 2- कुडेश
- 3- ममताबाई
- 4- जितेश
- 5- अरुण
- 6- हल्दीबाई
- 7- आश्रयसिंह

4. पता -
5. ग्राम - धुनवानी
6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया
7. तहसील - गौहरगंज
8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - नि: 0.36 हे० कृषि 1.214 हे०
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाधियों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व-शांतिबाई परि-रिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर-धेनु नक्षिण-कुमल

RF-482, 483, 485

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

एम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि कारने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(सच.पिताकर)


जनजातीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त


17

गणपति / गणपति
गणपति



गणपति - गणपति

गणपति



गणपति

गणपति

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)



अधिमोच के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00136/रायसेन/गौहरगंज/हुंगरिया/धुंधवानी/व्यक्तिगत/08/0037 दिनांक: 06.06.2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - कमल सिंह
(पति या पत्नी सहित) - श्रीमती सुनीताबाई
2. पिता/माता का नाम - शंकर सिंह/भुज्जोबाई
3. मांशितों का नाम -
1- सुनीताबाई - पत्नी - 25 वर्ष
2- संदीप - पुत्र - 01

4. पता -
5. ग्राम - धुंधवानी, पो. बगासपुर
6. ग्राम पंचायत - हुंगरिया
7. तहसील - गौहरगंज
8. जिला - रायसेन

रायसेन

गौंड

9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - गौंड
10. क्षेत्रफल - नि. - 0.025 हेक्टर. कृषि - 0.009 हेक्टर.
11. खसरा/कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाबिन्दु - RF- 482, 483, 485
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - शांति (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
पश्चिम - रिक्त, उत्तर - मोहन, दक्षिण - नदी

यह हक दाव्य योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंजन सिंह

वन सहायक अधिकारी, वन विभाग,
रायसेन, मध्यप्रदेश
जिला-रायसेन

निरंजन सिंह

वन सहायक अधिकारी,
रायसेन, मध्यप्रदेश
जिला-रायसेन

निरंजन सिंह

वन सहायक अधिकारी,
रायसेन, मध्यप्रदेश
जिला-रायसेन

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 120 / रायसेन/ गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / 29/व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित) राधेलाल
द्रौपतीबाई
2. पिता/माता का नाम - रामरतन / केशरबाई
3. आश्रितों का नाम -
1- द्रौपतीबाई
2- संतराम
3- जगदीश
4- राजकुमार

4. पता - धुनवानी, पो. बगासपुर
5. ग्राम - डुंगरिया
6. ग्राम पंचायत - गौहरगंज
7. तहसील - रायसेन
8. जिला - रायसेन
9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - नि. 0.25 हेक्ट., कृषि- 01.619 हेक्ट.
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व एवं पश्चिम - रिक्त संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर - रामसिंह, दक्षिण - बिहारी



यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त



(30)

कोट प्रदेस तालिका वास्तु विभाग
 वास्तु सुनवाणी रवि २०७३
 कोट प्रदेस R.F 482-483-484-485
 सुनवाणी माप-माप 1:1500

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय सार्वजनिक मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8 (ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 126 / रायसेन/ गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / व्यक्तिगत/08 दिनांक: 0

1. वन अधिकारों के धारक (को) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

सीताराम
पुनियाबाई

2. पिता/माता का नाम -

प्रहलादसिंह / भुरियाबाई

3. आश्रितों का नाम -

1- पुनियाबाई
2- मायावती
3- संध्याबाई
4- सौरभ

4. पता -

धुनवानी, चौक बजासपुर

5. तालुका -

डुंगरिया

6. ग्राम पंचायत -

गौहरगंज

7. तहसील -

रायसेन

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

गौड़

10. क्षेत्रफल -

कृषि - 0.809 हेक्टर.

11. उपपत्र/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों -

483

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व- रिक्त.

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम- रामरतन, उत्तर- ग्राम, दक्षिण- रिक्त.

यह हक वाज्य योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।



वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उप आयुक्त

23

82



वन अर्थी तळ्या - पारुषी विलीन
 गाव सुनगावी वठ तळ तळ ३ व
 काशी सुनगावी R.P 482-483-485 विलीन २०.३०
 सुनगावी ४११-गाव १:१५००

उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 142 / रायसेन / गौहरगंज / हुंगरिया / धुंगरिया / 1006 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (को) के नाम

विष्णुसिंह

(पति या पत्नी सहित)

मथराबाई

2. पिता/माता का नाम -

गणेशराम / भमरीबाई

3. माश्रितों का नाम -

1- मथराबाई

2- रामस्वरूप

3- रामवती

4- देवीराम

5- सोराम

6- शिवराज

7- भमरी

4. पता -

5. ग्राम -

धुंगरिया, पो. बंगासपुर

6. ग्राम पंचायत -

हुंगरिया

7. तहसील -

गौहरगंज

8. जिला -

रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी -

गोंड

10. क्षेत्रफल - वि. - 0.015 हेक्टा, कु.वि. - 0.809 हेक्टा.

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - 483

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व से पश्चिम - रिवत (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर - करार, दक्षिण - भगवत

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(रामेश्वर ठाकुर)

जिला जंगल अधिकारी

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

वन के


असंरक्षक

कलेक्टर/उपआयुक्त

Handwritten notes on the left side of the map, including the word "Block" and other illegible scribbles.

Handwritten text "19543 4147B" written vertically.

Handwritten notes including "Block" and "19543 4147B" written vertically.



Handwritten text in the bottom right corner, possibly a title or description of the map, including the number '1.15000'.

उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य संग्रहालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांगता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00150/रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवाडी/001/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 08/01/2018

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री लालाराम
(पति या पत्नी सहित) श्रीमती रामकुंअर
2. पिता/माता का नाम - पुरनसिंह / भंमरीबाई
3. आश्रितों का नाम -
1- रामकुंअर - पत्नी - 35 वर्ष
2- राजकुमारी - पुत्री - 07 "
3- सुनीता - पुत्री - 05 "
4- गिरजा - पुत्री - 03 "

4. पता -

5. ग्राम - धुनवाडी, पो. बगासपुर

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - नि. - 0.0128 - हेक्टर, कुबि - 0.809 हेक्टर

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - RF- 482 493 495

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - रिमदेरी (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - खाली, उत्तर - सोहराम, दक्षिण - नारायण

यह हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्रान्त या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।


वन गण्डलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

कलेक्टर/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

(29)

वन भूमि नक्शा - पारश्वर विनोद
 राम सुनवानी पं. सं. ३०
 का. सं. क्रमांक री. फ. ५४२-५४३-५४५
 सुनवानी माप-मान १:१५००



Subramanian
 10/10/2020
 10/10/2020

Subramanian
 10/10/2020
 10/10/2020

वृजमोहन
 उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 सुनवानी (विभाग)

राम सुनवानी

उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 सुनवानी (विभाग)

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

35 रायसेन, गौहरगंज / हुगरिया / धुंछवानी / व्यक्तिगत/08/0012 दिनांक: 06 OCT 2008

वन अधिकारों के धारक (को) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
पिता, माता का नाम -
साक्षियों का नाम -

नारायणसिंह
श्रीमती चन्द्रवती
पूरनसिंह / भमरीबाई
1- चन्द्रवती - पत्नी - 25 वर्ष
2- जमीता - पुत्री - 08
3- पप्पू - पुत्र - 06
4- गुड्डो - पुत्री - 01

जिला -
ग्राम - धुंछवानी, पो. बगारसपुर
ग्राम पंचायत - हुगरिया
हसील - गौहरगंज
जिला - रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौड़
त्रफल - नि. - 0.050 हेक्ट., कृषि - 0.007 हेक्ट.
दस्ता/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - RF- 482 483, 485
घाट सीमाओं का विवरण - पूर्व - लालाराम, (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
पश्चिम - उत्तर - छोटेशराम, दक्षिण - मदेशी

दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या
भय नहीं है :-


।धोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि
के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(स्म. पी. ठाकुर)

राज्य अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त



483
 482
 484
 485

राजपथ
 राजपथ के अग्र

राजपथ
 राजपथ के अग्र

राजपथ
 राजपथ के अग्र

राजपथ के अग्र - राजपथ के अग्र
 राजपथ के अग्र - राजपथ के अग्र
 राजपथ के अग्र - राजपथ के अग्र



उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00143/रायसेन/मौहरगंज/डुगरिया / धुंधवानी/0030 /व्यक्तिगत/08

दिनांक: 0 6 2017

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित) रामसिंह
मुलियाबाई
2. पिता/माता का नाम - जुगराजसिंह/अन्तोबाई
3. आश्रितों का नाम -
1- मुलियाबाई
2- तुलसीराम
3- राधाबाई
4- विष्णु प्रसाद

4. पता -
5. ग्राम - धुंधवानी
6. ग्राम पंचायत - डुगरिया
7. तहसील - मौहरगंज
8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - मौंड
10. क्षेत्रफल - नि 0.025 हे० वृषि 0.809 हे०
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व- रिक्त परि रिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार) P-483

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।


वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

कलेक्टर/उप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

(30)

वन भूमि नक्शा - पारशुराम विनेका
 ग्राम धुनवानी पं. ह. क. उ. ३
 का. २१ क्रमांक र. फ. ५४२-४८३-४८५ का. र. २४३
 धुनवानी १५१-आम १:१५००



का. २१

पारशुराम

482

483

485

पारशुराम

३२२ - २१२
 २४३ - १०६२
 ५४ - १४२४
 ५४३ - ५४३५

धुनवानी (विनेका)
 उपवन संरक्षक विभाग

धुनवानी
 ५४३५

धुनवानी
 ५४३५

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1/00141/रायसेन/गौहरगंज/हुंकारवा/धुनवनी /व्यक्तिगत/08/0033 दिनांक :

वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्रीकेशन
पति या पत्नी सहित)

पिता/माता का नाम -

आश्रितों का नाम -

- 1- लक्ष्मीबाई
- 2- पुष्प
- 3- मोहनबाई
- 4- कायल
- 5- अमोल
- 6- लक्ष्मी
- 7- अनोखा

- 1. नत
- 2. ग्राम -
- 3. ग्राम पंचायत -
- 7. तहसील -
- 3. जिला -

धुनवनी, हुंकारवा, गौहरगंज, रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी-

10. क्षेत्रफल - जि. - 0.025 हेक्. कुवि. 01.014 हेक्.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - क्र. 492, 493, 495

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - श्रीकेशन (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - नदी, उत्तर - कायल, इतिहास - अज्ञान

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(रुन. पी. ठाकुर)

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

वन स्थिति नक्शा - पारश्व विभाग
 वन सुनवानी प० ट० नं० ३९

कॉस्ट वॉर्क नं. F-482-483-485 वर्ष २०३०
 सुनवानी न्याय न्याय 1:15000

35



राज भौम
 ३२२ - २२५५
 कर्मिणी - १. अणु
 वन - आदिवा
 परिषद -

व. न. २२५५
 उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 वन सुनवानी (वि. का.)

खुशी
 २२५५२०

खुशी

उपबंध - 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



दिनांक: 06 OCT 2008

ब./00129/रायसेन/गौ.गंज/डुंगरिया/धुनवानी/0018/व्यक्तिगत/08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - **छोटेराम**
(पति या पत्नी सहित) **श्रीमती रमाबाई (पत्नी)**
2. पिता/माता का नाम - **पूरनसिंह / भमरीबाई**
3. माश्रितों का नाम -
1- रमाबाई - पत्नी - 20 वर्ष
2- सविता - पुत्री - 02
3- प्रेमसिंह - पुत्र -

1. पता -
2. ग्राम - **धुनवानी, पो. बगासपुर**
3. ग्राम पंचायत - **डुंगरिया**
4. तहसील - **गौहरगंज**
5. जिला - **रायसेन**

रायसेन

6. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - **गोंड**
7. क्षेत्रफल - नि. - 0.023 हेक्टर. कृषि - 0.405 हेक्टर.
8. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - **RF- 482, 483, 485**
(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) मजसूर)

यह हक दावा योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य का संतरणीय नहीं है :-


अतः, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(स्प. पी. ठाकुर)

जिला जनजाति कार्यवाही अधिकारी

(29)

वन भूमि नक्शा - गिरधर विनोक
 वाम पुनवानी 50 इ. 25 30
 काश कुमाक री. F 482-485-485 कारखर 20.
 पुनवानी 877-माद 1:15000



शुभम
 होरिमा/धर

Shyam
 1/10/2018
 पुनवानी

पुनवानी 20
 उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 पुनवानी (विनोक)

गिरधर
 20/11/18
 सुरेश
 ललायत
 दोरमण
 किरण

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00147/रायसेन/गौहरगंज डुंगरिया/धुंधवानी/0021 /व्यक्तिगत/08

दिनांक: 01/01/2021

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम -
3. आश्रितों का नाम -

जालम सिंह

भीमाबाई

रामप्रियान/जेफोबाई

- 1- भीमाबाई
- 2- रामप्रियान
- 3- जीवन
- 4- इंसीबाई

4. पता -
5. ग्राम -
6. ग्राम पंचायत -
7. तहसील -
8. जिला -

धुंधवानी
डुंगरिया
गौहरगंज

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - गौंड

10. क्षेत्रफल - नि० 0.016 हे०

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमादिष्टों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व- रिफ्त परिरिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
RF-482, 483, 485

उत्तर- डेलडा दक्षिण- सुरेश
यह हक प्रायः थोड़ा है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्रमण या अंतरणीय नहीं है :-

हम, जम्होतरताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(स.पी. अकुर)

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त


(28)

वन भूमि नक्शा - पौरश्वर विभागा
ग्राम दुनवानी पं. हं. ब. 30
कांस्ट्रक्शंस R.F. 482-483-485 का रबर
दुनवानी 1:15000

483

मकान/समूह
मकान

483



मकान प्लान

मकान
मकान
मकान
मकान

मकान

मकान
मकान

मकान
मकान



उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 122 / रायसेन/ गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी /व्यक्तिगत/08

दिनांक : 06 Oct 20

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम -
3. आश्रितों का नाम -

कडोरीलाल
फुलाबाई
रामरतन / केशरबाई
1- फुलाबाई
2- रामबाई
3- रामस्वरूप
4- विनोद
5- नंदनी

4. पता -
5. ग्राम -
6. ग्राम पंचायत -
7. तहसील -
8. जिला -

धुनवानी, पो. बगासपुर
डुंगरिया
गौहरगंज
रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - नि. 0.036 हेक्टर, कुषि- 0.809 हेक्टर.
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्न - 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - गुन्नी.

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम- पावतीबाई, उत्तर- केशरपहाड, दक्षिण- प्रह्लाद

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।


[Signature]
वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

[Signature]
संदीप यादव
कलेक्टर
जिला-रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

[Signature]
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला-रायसेन
आ.जा.क्र. रायसेन

संकेत -

दोरी / रीसना




483

483

श्री गुरुजी
श्री गुरुजी

संकेत -
संकेत - संकेत -
संकेत - संकेत -



485

प्लॉट नंबर 485 - प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485 - प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485 - प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485 - प्लॉट नंबर 485

प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485
प्लॉट नंबर 485

उपसंख्या - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए एक

/00152/रायसेन/ बी.ज.पं./ इंदौरिया / धुंधवाडी / 0032 /व्यक्तिगत/08

दिनांक:

वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम

- शंकरसिंह

(पति या पत्नी सहित)

श्रीमती भुज्जोबाई

पिता/साला का नाम -

विद्येशीलाल / पुनिचाबाई

आश्रितों का नाम -

- 1- भुज्जोबाई --- पत्नी - 45 वर्ष
- 2- विवेक --- पुत्र - 20
- 3- राजनीबाई --- पुत्रवधु - 18

पता -

ग्राम - धुंधवाडी पो. बगरसपुर

ग्राम पंचायत - इंदौरिया

तहसील - गौहरगंज

जिला - रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी - गोंड

क्षेत्रफल - नि. - 0.040 हेक्टर कुंघ - 0.809 हेक्टर.

खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों RF- 482 483 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - नदी, पश्चिम - कन्हैया (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर - करार, द. - ग्राम

एक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या परणीय नहीं है :-

1. अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(रम.पी. ठाकुर)

जिला जनजाति विकास अधिकारी

Dehukan



4

41

483
 482
 485
 484
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500

483
 482
 485
 484
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500

483
 482
 485
 484
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500



482
 485
 484
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500

482

उपबंध - 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00139/रायसेन/ओहरगंज/डुंगरीवा/धुंघवानी/0026/व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (वनों) के नाम
(पति या पत्नी सहित) गुन्नीलाल
रामफोबाई
2. पिता/माता का नाम - नन्देलाल/कुवजाबाई
3. आश्रितों का नाम -
1- रमफोबाई
2- कैलाश
3- जीजन
4- छोटे

4. पता -
5. ग्राम - धुंघवानी
6. ग्राम पंचायत - डुंगरीवा
7. तहसील - ओहरगंज
8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौंड
10. क्षेत्रफल - जिला 0.04 हे. फु. 214
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व- कुरोडी परिसर P-483 (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अंतिम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है -
हम, अध्याहस्ताकारों, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी करते हैं।

Behaulam

(राम. पी. ठाकुर)

उपबंध -2

**भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय**

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिजाग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00139/रायसेन/ओहरांगन/ओहरांगन/ओहरांगन/0026/व्यक्तिगत/08 दिनांक:

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम

(पति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम -

3. आश्रितों का नाम -

शुद्धवानी

रामफोर्बाई

गन्डेजाल/कुब्जाबाई

1- रामफोर्बाई

2- कुब्जा

3- जीजन

4- छोटे

पत् -

शुद्धवानी

ओहरांगन

ओहरांगन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी -

10. क्षेत्रफल - जि० ०.०५ हे० कृषि ०.२५

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाधिनी

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - फरोडी परिसर (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक बाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अफोहलाक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए बतलाकर करते हैं।

Subramaniam

(स.पी. अकुर)

वन मंत्रालय, भारत सरकार, उप-सचिव

सिखा अजजाति कल्याण अधिकारी

44

अधीनस्थ/उप-अधीनस्थ



उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008)

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 133 / रायसेन / गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / व्यक्तिगत / 08

दिनांक: 06 OCT 2018

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

रमेशसिंह

2. पिता/माता का नाम -

स्व. श्यामबाई

3. आश्रितों का नाम -

बिहारीलाल / पुनियाबाई

1- मोहनबाई

4. पता -

5. ग्राम -

धुनवानी, पो. बगासपुर

6. ग्राम पंचायत -

डुंगरिया

7. तहसील -

गौहरगंज

8. जिला -

रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

गौंड

10. क्षेत्रफल - नि. 30 x 30, कृषि - 0.809 हेक्टर.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों

482

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व- रास्ता.

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम- नाला, उत्तर- परसराम, दक्षिण- जंगल.

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अंधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिला जंगल अधिकारी

जिला जंगल अधिकारी
कलेक्टर/उपआयुक्त



जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
औरंगाबाद रायसेन

वन गंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक
जिला-रायसेन

28

काय शक्ति अन्वय - विरुद्ध विरोधा
विश्व सुवर्णात् १०.६.१७६३०
अथ सुवर्णात् A.F 482-483-485 अन्वय
सुवर्णात् ६१११-१११ १:१६०००

अथ शक्ति
१७६३ - १७६०



Handwritten signature or name.

Handwritten text, possibly a title or reference.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word 'शक्ति' and other illegible text.

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

20131/रायसेन/गौहरगंज/दुंगरिया/धुनवनी/0024/व्यक्तिगत/08

दिनांक :

वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम

तुलाराम

(पति या पत्नी सहित)

स्यंतीबाई

पिता/माता का नाम -

श्रीलाराम / जैबाई

आश्रितों का नाम -

1- स्यंतीबाई

2- जगदीश

3- राजेश

4- राज

5- राजेश

पता -

धुनवनी, पो. बलरामपुर

ग्राम -

दुंगरिया

ग्राम पंचायत -

तहसील -

गौहरगंज

जिला -

रायसेन

रायसेन

गोंड

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

क्षेत्रफल - नि. 0.030 हे. , कृषि - 0.809 हेक्.

खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - RF- 482, 483, 485

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - पश्चिम - (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर - बिहारी, दक्षिण - सुनी

हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या रणीय नहीं है :-

, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(स.पी.ठाकुर)

मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक


जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

67

(28)

वन भूमि नक्शा - पारश्वर विनेका
एडम धुनवानी पर कंकड
काण्ड संक. F 482-483-485 करियर
धुनवानी 677 मी / 1500



INDCO
वाहन / वाहन

482

483

485

24

111 मी

382 - 19.18

दक्षिण - पूर्व
पूर्व - दक्षिण

एडम धुनवानी
एडम परिक्षा अधिकारी
धुनवानी (विनेका)

Handwritten signature and text, possibly 'Arunod' and 'Arunod'.

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

148 / रायसेन / गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / व्यक्तिगत / 08

दिनांक 06.08.2018

वन अधिकारों के धारक (को) के नाम

फूलसिंह

(पति या पत्नी सहित)

ललताबाई

पिता/माता का नाम -

रामरतन / केशरबाई

आश्रितों का नाम -

- 1- ललिताबाई
- 2- रामभरोसे
- 3- सावित्रीबाई
- 4- हरिसिंह
- 5- पुनियाबाई

पता -

ग्राम -

धुनवानी, पो. बगारपुर

ग्राम पंचायत -

डुंगरिया

तहसील -

गौहरगंज

जिला -

रायसेन

रायसेन

अनुसूचित जनजाति / ~~अन्य परम्परागत वन निवासी~~ -

गोंड

क्षेत्रफल - 0.100 हेक्टर, कृषि - 01.619 हेक्टर

1. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - गुनी,

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - राधे, उत्तर - प्रहलाद, दक्षिण - पार्वती.

ह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-


म, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जनजातीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

49




DAN PATE
DAN PATE

WOOD

483

482



485

DG

दोन ४८५ व ४८६ या जागेत ११३७७ चौरफुट
वाढी सुधारणीत ४० रू. ०० ३०
वाढी सुधारणीत रु. ४८२ + ४८३ + ४८५ रु. ४०३०
सुधारणीत ११७-११७ १.११००
Sawo

Office
Sawo
Sawo
Sawo
Sawo
Sawo
Sawo

1312
Sawo
Sawo

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



क्र./००148 / रायसेन / गौहरगंज / डुंगरिया / धुनवानी / व्यक्तिगत/08 /००9 दिनांक : 0.6.007

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम **हरीबाई**
(पति या पत्नी सहित) **स्व. रूपसिंह (पति)**
2. पिता/माता का नाम - **बुद्धा / फुल्लौबाई**
3. आश्रितों का नाम -
1- नारायण
2- नर्बदी
3- रामदुलारी

4. पता - **धुनवानी, पो. बगासपुर**
5. ग्राम - **डुंगरिया**
6. ग्राम पंचायत - **गौहरगंज**
7. तहसील - **रायसेन**
8. जिला - **रायसेन**

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी- **गौड़**
10. क्षेत्रफल - **नि. - 0.250 हेक्टर, कु.वि. - 0.809 हेक्टर.**
1. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - **RF- 482, 483 - 485**
द्वारा सीमाओं का विवरण - **पूर्व - शंकर, (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)**
पश्चिम - उत्तर - टंटू, दक्षिण -

इह हक दाव्य योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-


म, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जनजातीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक
रायसेन

(Signature)
जनजातीय अधिकारी
रायसेन
कलेक्टर/उप आयुक्त


(Signature)
(रूप. पी. ठाकुर)
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

वन भूखण्ड नक्शा - गोरक्षत्र विनोका
 काष्ठ पुनवानी प.० ह.न.०.३
 काष्ठ प्रमांक R.F 482-483-485 का रकबा ६०३
 पुनवानी ६७७-मात्र १:१५००



काष्ठ
 १/२०१८

५२



२०१८

प्रमाण ६७७
 उपवन परिक्षेत्राधिकारी
 पुनवानी (विनोका)

२०१८
 पुनवानी

२०१८
 २०१८
 २०१८
 २०१८

उपबंध-2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./00130/रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी/0044 /व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम (पति या पत्नी सहित) **अर्जुन सिंह बुल्लोवाड़ी**
2. पिता/माता का नाम - **राम किशन/ अँकेवाड़ी**
3. आश्रितों का नाम -
1- बुल्लोवाड़ी
2- राजेश
3- राजवरी
4- गीता

4. पता -
5. ग्राम - **धुनवानी, पो. बरगासपुर**
6. ग्राम पंचायत - **डुंगरिया**
7. तहसील - **गौहरगंज**
8. जिला - **रायसेन**

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - **गौड़**
10. क्षेत्रफल - **नि. - 0.040 हेक्टर, 0.405 हेक्टर (कुछ)**
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - **RF- 482, 483, 485**
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व एवं पश्चिम - रिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
उत्तर - किरान दक्षिण - खेतलाक

यह हक दाव्य योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अक्षरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

राज्य मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक


अधीन अधिकारी
जिला-रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

(**रम.पी. ठाकुर**)
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

629

वन भूमि नक्शा - पारश्वर विनोद
ग्राम सुनवानी पं. नं. २७३०
कॉस्ट सुमांक्री F 482-483-485 कॉस्टर टन
सुनवानी ६१९-११९ १.१५०००



55

1000

सुनवानी/सुनवानी

483

485

14

पारश्वर

पारश्वर - श्रीजिंद
सुनवानी - श्रीजिंद
सुनवानी - श्रीजिंद
सुनवानी - श्रीजिंद

सुनवानी (सुनवानी)
सुनवानी (सुनवानी)

सुनवानी
सुनवानी
सुनवानी

सुनवानी
सुनवानी
सुनवानी

उपलब्ध - 3

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिशोम के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./119 / रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी /व्यक्तिगत/08

दिनांक :

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

टन्टू

2. पिता/माता का नाम -

मनकोबाई

3. आश्रितों का नाम -

बुद्धा / फुल्लोबाई

1- मनकोबाई

2- सुखराम

पत्ता -

ग्राम -

ग्राम पंचायत -

तहसील -

जिला -

धुनवानी. पो. बगासपुर
डुंगरिया
गौहरगंज
रायसेन रायसेन

अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी -

गोंड

क्षेत्रफल - नि. 0.040 हेक्टर, कृषि- 0.809 हेक्टर.

खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों

482,483

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - शंकर,

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम- कंहेया, उत्तर- हरीबाई, दक्षिण- कंहेया

हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या उपेय नहीं है :-

अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर करते हैं।


जिला अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

55

303
 1005 B...
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100



1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100

1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100

1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100

1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100

403

150/122

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./121 /रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/धुनवानी /व्यक्तिगत/08

दिनांक: 08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम कन्हैयालाल
(पति या पत्नी सहित) श्रीमती गीताबाई
2. पिता/माता का नाम - बुढा /फुल्लोबाई
3. आश्रितों का नाम -
1- गीताबाई
2- रेखाबाई
3- सुनील
4- संजीव

4. पता -

5. ग्राम -

6. ग्राम पंचायत -

7. तहसील -

8. जिला -

धुनवानी, पोस्ट-बगासपुर
डुंगरिया
गौहरगंज
रायसेन

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

गौड़

10. क्षेत्रफल - नि. 0.025 हे. कृषि- 01.214 हेक्टर.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों - 482, 483

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व एवं पश्चिम- रिक्त (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार).

उत्तर- टट्ट, दक्षिण- परसराम

यह हक दाय-योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।


वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

वज्र धर्म मठ
धर्म धर्मवनी
वज्र धर्म मठ
धर्मवनी धर्म मठ
५०००

(३०)



(५०५)

धर्म मठ

धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ



(५०४)

(५०३)

धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ

धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ

धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ

धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ
धर्म मठ

उपबंध-२

भारत सरकार
जनसूचीय कार्य मंत्रालय

(जनसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8 (अ) देखें)

अधिनियम के अधीन वन भूमि के लिए हक

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/राज्यसेन/संघ राज्यक्षेत्र/राज्यसेन/संघ राज्यक्षेत्र/00.25/राज्यसेन/08

दिनांक:

1. वन अधिकारों के धारक (एतों) के नाम

सदरसेन

(पति या पत्नी सहित)

सोमनाथ/सोमनाथ

पिता/माता का नाम -

सोमनाथ/सोमनाथ

अधिनियम के नाम -

1.	सोमनाथ	पत्नी	32 वर्ष
2.	सोमनाथ	पुत्र	18
3.	सोमनाथ	पुत्री	12
4.	सोमनाथ	पुत्र	10
5.	सोमनाथ	पुत्र	07
6.	सोमनाथ	पुत्री	00

आज पंदायत -

राज्यसेन -

पिता -

राज्यसेन

जनसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग निवासी -

राज्यसेन

क्षेत्रफल - मि - 0.040 हेक्टर - का - 0.009 हेक्टर

चारा/कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों का - 400 400 400 400

प्राप्त सीमाओं का विवरण - राज्यसेन (संलग्न आदेशिका (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर - राजस्थान सरकार

यह कार्य योग्य है किन्तु अधिनियम में धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अल्पसंख्यक वर्ग निवासी नहीं है।

यह कार्य राजस्थान सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए किया जा रहा है।

(संलग्न आदेशिका)

अधिकांश/उप सचिव

अधिकांश/उप सचिव



संख्या - 1
 भारत सरकार
 जनता कौशल कार्यक्रम
 (संयोजित) दिनांक 2008

72125
 अतिरिक्त / मुख्य / पुनर्वास / अन्य
 1. पुनर्वास
 2. श्रमिक
 3. कर्मचारी
 4. अन्य

दिनांक 06 OCT 2008

1. पद
 2. पद
 3. पद
 4. पद


पुनर्वासी या बसासपर
 गाँव
 गाँव
 राज्य

10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति
 11. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति
 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति
 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति

...

...

3



61

उपखंड - 4
समाप्त - 1982
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुसूचित जातों और अल्प संख्या वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा) दिवस 2008



अधिकारों के अर्थात् अनुसूचितों के लिए एक

नं. 124 / उपखंड / गौहरगंज / दुमरावा / धुनवासी / अनुसूचित / 08

दिनांक: 06.11.2008

- 1. अनुसूचित जातों के पक्ष में अधिकारों के अर्थात् (अ) के अर्थ में बिहारीनाथ
- 2. पति/पत्नी का नाम एम्. अमीरुल्लाह
- 3. अधिकारों के अर्थ में दोगोबाई/धुनवा
- 1- नीलेश

धुनवासी, पो. बगलसपुर
दुमरावा
गौहरगंज
रायसिन तालुक

- 4. नाम -
- 5. जाति -
- 6. समाज-विभाग -
- 7. तालुक -
- 8. जिला -

9. अनुसूचित जातों/अल्प संख्या वर्ग के लोगों के अधिकारों - गौड़

10. क्षेत्रफल - नि: 0-025 हेक्टर, कुल: 01-619 हेक्टर

11. जमीन - किराए पर है। जमीन संस्थापना - 463-485

इस जमीन का विवरण - पूर्व एवं पश्चिम दिशा में, जमीन का विवरण (पीठ नं. -) अनुसूचित


उत्तर - 24, दक्षिण - 24

एवं इस जमीन में विद्यमान अनुसूचितों की संख्या 4 की उपधारा (4) के अर्थात् अनुसूचितों का नाम -

एवं गौहरगंज, बगलसपुर तालुक के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त अनुसूचितों की पुष्टि करने के लिए प्रस्ताव करते हैं।

मुख्य अधिकारी/अल्प संख्या वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए
मुख्य अधिकारी, अल्प संख्या वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए

3



63

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधम 2008 का नियम 8(ज) देखें)



अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए एक

क्र. /00144/रावसेन/ गौहरगंज / दुंगरिया / पुंघवनी / 004/अभिजात/08

दिनांक : 0 6 01 2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री परसु श्रीमती ग्यासीबाई
- (पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम - बुहा / कुल्नोबाई
3. आशिलों का नाम -
- | | | |
|--------------|------------|---------|
| 1- ग्यासीबाई | - पत्नी - | 35 वर्ष |
| 2- विधनाबाई | - पुत्री - | 16 |
| 3- अजय | - पुत्र - | 14 |
| 4- छोड़ | - पुत्र - | 12 |

4. पता -
- नाम - धुनवनी, पो. बजासपुर
- नाम पंचायत - दुंगरिया
- तहसील - गौहरगंज
- जिला - रावसेन

रावसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौंड

आकार - जि. - 0.090 हेक्टर, कुछि - 0.809 हेक्टर.

कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमादिनों - RF-482-483-485

आशिलों का विवरण - पूर्व - रांकर, परि. - (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

दक्षिण - कुन्हेवा, दक्षिण -

यदि यह मान्य योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य वा अन्य विधि नहीं है :-

इस अधिहस्ताहरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिला अधिकारी/उप वनसंरक्षक
रावसेन

राज्य सरकार
कलेक्टर/उपजायका

(उप जी डायर)
जिला अधिकारी
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रावसेन

परिशिष्ट अ अ

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक

2

पट्टा क्र० 105

वासण्डन 2000 ब्राम 010 मो. मो. ज

परिक्षेत्र विनेष

वन ग्राम दुनबानी

खसरा नं. में से

आवृत्त भूमि 22 (दर) हेक्टर

पट्टा जारी करने की तिथि 01-07-1992

पट्टा समाप्ती होने की तिथि 30-06-2007

गवाह 22/2/07 as

गवाह कुलसिंह

दिनांक 30/5/99

वन कर्मचारी
श्री: वन मंडल अधिकारी

स्तक क्र० 2

प० क्र० 105

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी (विवाहित/अविवाहित)

पुस्तक क्र० 2 पट्टा क्र० 105

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी गमासी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी


श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी

श्री: श्री गणेश सिंह एवं पत्नी



वन मंडल अधिकारी
श्री: वन मंडल अधिकारी

मुझे वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी
निगम स्वीकार हैं।

1

शवाह 1 शमशेर सिंह

2 पुनवती

दिनांक 30/5/49

मंगल सिंह

पट्टेदार के हस्ताक्षर
या अगुठा निशाती


परताप

रूपारिह

अधिकाधिक

प्राच्य

गिता चरि



वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 2 पृष्ठ क्र० 10

वनमण्डल श्याम बाग मंडल

परिक्षेत्र चिन्नेर

वन ग्राम पुनवती

नाम मंगल सिंह एवं पत्नी (विवाहित/विवाहाहित)

आयु मंगल सिंह 45 वर्ष पत्नी 35 वर्ष

पत्नी अरविंद स्वामी

टंकुल भण्डु

पति अरविंद स्वामी

जाति गोठा

पट्टा देने की तारीख 01-07-1942

पट्टा समाप्त होने की तारीख 30-06-2007

जारी करते वाले अधीक्षक

पंचायती दण्ड प्राणी अभ्यारण्य

वक्ता ...

67

67

0.472 6572 10/1/2011

मुझे वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी नियम स्वीकार हैं।

पट्टेदार के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशानों

- गवाह 1 राजेश कुमार
- 2 सुनील कुमार
- दिनांक 30/5/99

परताप

रूपारोह

अज्ञान

प्राणेश

अज्ञान



वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 2 पृ 00

वनमण्डल ब्या. बाग. डी. मं. ज.

परिक्षेत्र सि. क.

वन ग्राम पुनवाजी

नाम मंगल सिंह एवं पत्नी (विवाहित/अविनायक)

आय मंगल सिंह एवं पत्नी गंधर्वी बंस

पट्टी रूप सिंह एवं पत्नी हरीबारी

पति टन्डुल बंस बुडा

जाति गोटा

पट्टा देने की तारीख 01-07-1992

पट्टा समाप्त होने की तारीख 30-06-2000

जारी करते वाले अधीक्षक

पतापानी एवं प्राणी अभ्यारण
अधेरे, बाराबंका.

वनसंरक्षण अधिकारी
डा. वी. नारायण

69
69

परिशिष्ट अ अ

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 2 पट्टा क्र० 105

वामपुत्र नाम बंशु उमेश शर्मा

परिक्षेत्र विनेक

वन ग्राम धुनवानी

खसरा नं. _____ में से

आवृत्त भूमि 26 (65) हेक्टर

पट्टा जारी करने की तिथि 01-07-1992

पट्टा समाप्ती होने की तिथि 30-06-2007

गवाह रा. र. शर्मा

गवाह कुलसिंह

दिनांक 30/5/99

वन सड़क अधिकारी

सा: वन सड़क अधिकारी

स्तक क्र० 2

प० क्र० 105

पति श्री मोहन सिंह एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी (विवाहित/अविवाहित)

पुत्र पुत्राधर सिंह एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र रूप सिंह एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी

पुत्र अशोक एवं पत्नी श्रीमती गंगा देवी



Handwritten signature

वन सड़क अधिकारी

सा: वन सड़क अधिकारी

अधीक्षक

अधीक्षक

परन्तु महत्वपूर्ण मार्ग स्थित हैं। अभयारण्य के अंदर 32 गांव बसे हुये है और अभयारण्य की सीमा के आस-पास भी अनेक गांव स्थित हैं। गाँवों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र में अनेक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। भोपाल के कुछ कुख्यात शिकारी हमेशा अभयारण्य में घात लगाने की कोशिश में रहते हैं। क्योंकि यह अभयारण्य भोपाल जैसे राजधानी वाले शहर से मात्र 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार अवैध शिकार का दबाव बना रहता है। पिछले 5 सालों में अवैध शिकार, अवैध चराई, मछली पकड़ना, अतिक्रमण और अवैध कटाई की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.6 में दर्शाई गई है।

वर्षवार वन अपराधों की संख्या

वर्ष	अवैध शिकार	अवैध कटाई	अवैध चराई	अवैध मछली पकड़ना	अवैध अतिक्रमण	अवैध उत्खनन	अग्नि घटना	अवैध परिवहन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	03	320	06	—	—	—	04	—	01
2003-04	07	412	37	—	01	01	06	—	02
2004-05	03	504	28	01	10	—	08	01	03
2005-06	06	418	18	—	02	01	59	01	01
2006-07	02	411	10	02	01	—	55	11	06
योग	21	2065	99	03	14	02	132	13	12

तालिका क्र. 2.9.11.6

2.12 अभयारण्य के अन्दर बसे ग्राम :

अभयारण्य के भीतर पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से बसे ग्रामों की जानकारी तालिका क्र. 2.9.11.7 में दर्शाई गई है।

अभयारण्य के भीतर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बसे ग्राम

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5
रायसेन	दाहोद	1	झिरी - बहेड़ा	ग्राम बहेड़ा ग्राम झिरी का टोला है।
		2	जावरा-मलखार	ग्राम मलखार ग्राम जावरा का टोला है।
		3.	करमई	ग्राम करमई, ग्राम बमनई का टोला है।
		4	बमनई	
	बरखेड़ा	5	गौतमपुर-कालोनी	ग्राम जौंधरा, ग्राम गौतमपुर कालोनी का टोला है।
		6	गौतमपुर-जौंधरा	

		7	नासीपुर	
		8	भूतपलासी	
		9	पिपलानी कला	
		10	कैरी-चौका	
		11	बिनेका-बोरदा	
		12	बोरदा	
		13	बरखेड़ा	
		14	पांझिर	
		15	करमोदा	
	बिनेका	16	दांत खौ	
		17	लुलका	
		18	बोरखाड़ी	
		19	मरगरघा पिपलिया	
		20	खपरिया खापा	
		21	मंडवा रमपुरा	
		22	जैतपुर	
		23	साजौली	ग्राम साजौली, ग्राम जैतपुर का टोला है।
		24	बिनेका	
		25	डामडोंगरी	
		26	बम्हौरी	आंशिक रूप से अभयारण्य के अंदर
		27	घाटखमरिया	
		28	नीलगढ़	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 467 में बसा
		29	धुनवानी	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 483 में बसा
सीहोर	देलाबाड़ी	30	मथार	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 535, 536, 537, 539, 543, 544 एवं 546 में बसा
		31	देलाबाड़ी	
		32	सुरइ ढावा	
राजस्व ग्राम 29 वन ग्राम 3 मजरे टोले 3				

तालिका क्र. 2.9.11.7

2.12.1 ग्रामों के परिवार, जनसंख्या तथा पशुओं की जानकारी:

अभयारण्य में परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं की जानकारी तालिका क्र. 2.9.11.8 में दर्शाई गई है।

परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं के आंकड़े

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	परिवार संख्या	जनसंख्या	पशु संख्या	ग्राम का क्षेत्रफल
रायसेन	बरखेड़ा	1	बरखेड़ा	34	1606	7527	117.842
		2	बोरदा	52	258	310	159.631
		3	बिनेका(बोरदा)	168	839	273	187.789
		4	पिपलानी कला	77	385	247	1256.587
		5	भूतपलासी	55	273	174	618.493

	6	नासीपुर	54	271	262	149.943
	7	गौतमपुर कालोनी	606	3030	395	309.303
	8	गौतमपुर जौंदरा				
	9	करमोदा	280	1400	202	1155.343
	10	कैरी - चौका	35	175	157	134.635
	11	पांझिर	52	258	310	1683.028
बिनेका	12	बिनेका (अंशिक)	210	1049	560	105.467
	13	डामडोंगरी (अंशिक)	47	234	363	110.374
	14	बम्हौरी (अंशिक)	44	219	270	92.769
	15	घाटखमरियां (अंशिक)	159	796	221	114.578
	16	मगरघा पिपलिया	73	363	324	194.331
	17	खपरिया खापा	145	723	418	288.461
	18	मंडवा रमपुरा	77	387	224	192.510
	19	लुलका	103	515	662	61.744
	20	बोरखाड़ी	105	527	684	160.161
	21	दांत खो	09	44	123	108.299
	22	जैतपुर	97	483	632	29.352
	23	साजौली				
	24	नीलगढ़ (वनग्राम)	32	158	118	45.040
	25	धुनवानी (वनग्राम)	31	157	140	41.100
दाहोद	26	करमई	108	540	370	338.121
	27	बमनई				
	28	जावरा - मलखार	295	1477	691	62.348
	29	झिरी - बहेड़ा	183	914	639	479.720
सीहोर	देलाबाड़ी	30	40	186	225	26.343
	31	सुरई - ढाबा	18	78	115	53.240
	32	मथार (वनग्राम)	112	894	1663	220.900
		योग	3301	18239	18299	8487.458

तालिका क्र. 2.9.11.8

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।

वर्तमान प्रवेश द्वार

परिक्षेत्र	स्थल
देलाबाड़ी	मथार
—	नाहरकोला (गौसदन के पास)
—	यार नगर
बरखेड़ा	बरखेड़ा (बरूसोत गेट)
बिनेका	रमपुरा
—	घोड़ा पछाड़

12.4.3 सिर बोझ से जलाउ विक्री करने वालों को रोजगार उपलब्ध कराना :

अभयारण्य के अंदर स्थित गरीब आदिवासियों के पास रोजगार के कोई वैकल्पिक साधन नहीं है और वे परम्परागत रूप से सिर बोझ से जलाउ लकड़ी लाकर समीप के कस्बों में विक्रय करते रहे हैं अतः इस व्यवस्था को रोकने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसे रोजगारों के सम्बंध में उपर की कंडिकाओं में विस्तृत उल्लेख किया गया है। फिर भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ ऐसे विकल्प उभर कर आ सकते हैं जो उपर वर्णित विकल्पों के अतिरिक्त होंगे। उन पर भी विचार किया जाये और ग्रामीणों को अभयारण्य के विकास की सरिता में सम्मिलित किया जाये।

12.4.4 चराई प्रबंधन :

ईको विकास रणनीति में जलाउ लकड़ी एवं चराई व्यवस्था के अंतर्गत उक्त विषय में उल्लेख किया गया है ~~उक्त चक्रिय चराई व्यवस्था हेतु 2 हे० प्रति पशु इकाई के अनुसार चराई योजना तैयार की गई है~~ और चक्रिय व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है। उक्त व्यवस्था में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से निम्न स्थानों पर चारागाहों का विकास किया जायेगा और ग्रामीणों को यह समझाइस भी दी जायेगी कि वे अनुपयोगी पशुओं की संख्या कम करें तथा अच्छी नस्ल के अच्छे दुधारु पशु तथा खेती किसानों के लिये अच्छे मजबूत नस्ल के बैल ही रखें। अनुपयोगी पशुओं की संख्या बढ़ाते रहने को हतोत्साहित किया जाये।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Annexure-II

Proposal fulfills all the conditions of voluntary relocation guidelines Dated 20.05.2019

issued by the ministry:-

S.no.	Conditions	Compliance
1.	Resettlement/ relocation within the boundaries of the notified forest land be considered only if suitable non-forest land not available within the vicinity of the protected area from where the relocation is proposed;	Condition is being followed and letter is also attached in page no. 12 of proposal. (Please see page no. 1 of Annexure-II)
2.	The District Collector concerned shall furnish to the NTCA a certificate of non-availability of land suitable for relocation of the villages located within the Protected Area and Tiger Reserves before any proposal of relocation within the forest is approved;	Condition is being followed and letter is also attached in page no. 12 of proposal. (Please see page no. 1 of Annexure-II)
3.	The land identified for relocation/rehabilitation should not result in fragmentation of the forest/wildlife habitat;	Condition is complied with
4.	The relocation shall be undertaken solely as a process of consolidation of the wildlife habitat;	Condition is complied with
5.	The relocation shall be undertaken only along the fringes of the forest such that all facilities to the resettled families can be provided without recourse to further diversion of forest land for providing infrastructure;	Condition is complied with
6.	The land/villages within the forest which have been vacated shall be brought under the protected area network through enabling notification under the Wildlife Protection Act after extinguishing all the existing rights over the vacated land;	Condition is complied with
7.	The extent of land de-reserved / de-notified for resettlement shall not be more than the extent vacated by the settlers in the core area; and	Condition is complied with
8.	The payment of NPV and cost of CA may be exempted in all such cases of voluntary relocation/ rehabilitation of families from the protected areas undertaken within the forest land.	Condition is complied with


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन (म.प्र.)

☎ - 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

क्रमांक/2215/17-भू-अमि./वर्कलोड/2021

रायसेन दिनांक 12/12/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /भा.वि./21/4024/ओ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है।

आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 200 हेक्टर इक्जाई कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

कलेक्टर
जिला रायसेन (म.प्र.)

DUBEY MAIN

Page 522


Annexure - III

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Certificate


This is to certify that the area under "Dhunwani Village" of Ratapani Wildlife Sanctuary, Division Obedullaganj, District Raisen will become inviolate and no families/persons will be left within this village for further relocation. For this consensus of all the villagers have already been attached with the proposal.


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj

Comprehensive KML of Existing Dhunwani Village

Existing Dhunwani Village
Area = 318.00 hact.

Legend

 Comprehensive KML of Existing Dhunwani Village



Google Earth

Image © 2022 CNES / Airbus
Image © 2022 Maxar Technologies


1 km



KML Map of Habitation & Agriculture

Existing Dhunwani Village
Area = 37.7 hact.

Legend

 Habitation & Agriculture



Dhundhwani धनुश्रवाणी


Maheshwari Traders



KML Map of Miscellaneous land use

Existing Dhunhwani Village
Area = 19.3 hact.

Legend

 Miscellaneous Area

Dhundhwani धुंधवाणी

Maneshwari Traders

Google Earth

Image © 2022 CNES / Airbus


800 m




Dhunwani Rehabilitation Site

Area = 55.00 hact.

Legend

 Dhunwani Rehabilitation



Google Earth

Image © 2022 CNES / Airbus



700 m

Ratapani Sanctuary Core Area

Legend
◻ Ratapani Sanctuary Core Area



Google Earth

Image © 2022 CNES / Airbus
Image Landsat / Copernicus
Image © 2022 Maxar Technologies



20 km

Ratapani Eco Sensitive Zone

Legend
○ Ratapani Eco Sensitive Zone



Google Earth

Image © 2022 Maxar Technologies
Image Landsat / Copernicus
Image © 2022 QIYES / Airbus
Image © 2022 Airbus

20 km